

टेलीफोन नं. 25674980
Email id : ddgvig@dgest.org

गोपनीय / अति तत्काल
सं. 109 / 21 / विविध / सामा. / सतर्कता / रसं
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा संपदा महानिदेशालय
रक्षा संपदा भवन
उलान बाटर मार्ग, दिल्ली छावनी
नई दिल्ली - 110010
दिनांक 08 अक्टूबर, 2015

सेवा में

प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा
मध्य / पूर्व / उत्तर / दक्षिण / दक्षिण-पश्चिम / पश्चिम कमान
लखनऊ / कोलकाता / जम्मू / पुणे / जयपुर / चंडीगढ़

सेवा मामलों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन – अनुदेशों
को दोहराने के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013 / 08 / 2015 – स्था. (ए – ।।।) दिनांक 31.08.2015 की प्रति संलग्न है।

2. अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को सख्ती से अनुपालन हेतु सभी पदाधिकारियों / अधिकारियों तथा कार्मिकों को परिचालित किया जाए।
3. कृपया अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी फील्ड कार्यालयों से उपरोक्त के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की जाए और उनकी प्रतियां रिकॉर्ड के लिए इस महानिदेशालय को भेजी जाएं।

-5d-

(योगेश कुमार)
उप महानिदेशक (सतर्कता)
कृते महानिदेशक, रक्षा संपदा

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि :

महानिदेशक, रक्षा संपदा के प्रधान निजी सचिव
वरिष्ठ अपर महानिदेशक, रक्षा संपदा के प्रधान निजी सचिव
सभी अपर महानिदेशक
सभी उप महानिदेशक
सभी सहायक महानिदेशक
सभी उप सहायक महानिदेशक
सभी सहायक रक्षा संपदा अधिकारी
सभी प्रभाग

सं. 11013/08/2013-स्था.(ए-III)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 31 अगस्त, 2015

कार्यालय जापन

विषय: सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन- अनुदेशों को दोहराने के संबंध में।


अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 6 जून, 2013 के समसंख्यक का.जा. सं. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा उनके सेवा संबंधी मामलों के विषय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों के बावजूद, यह पाया गया है कि अर्द्ध सैन्य बलों और सेना कार्मिकों के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित सरकारी सेवक सीधे प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव (कार्मिक) और अन्य उच्चतर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दे रहे हैं।

2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, जहां सरकारी सेवक उनके सेवा अधिकारों या शर्तों से जुड़े किसी मामले पर कोई दावा करना चाहता है या किसी शिकायत का समाधान चाहता है तो उसके लिए समुचित प्रक्रिया अपने आसन्न कार्यालयीय वरिष्ठ या अपने कार्यालयाध्यक्ष या समुचित स्तर के ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उस संगठन में ऐसे मामले से निपटने में सक्षम को, को संबोधित करना है।

3. अभ्यावेदनों का पत्राचार के निर्धारित माध्यम को नंजरदांज कर अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना गंभीरता से देखा लिया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हैं। इसे अशोभनीय आचरण माना जा सकता है, जिस पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (iii) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें ई-मेल या लोक शिकायत पोर्टल इत्यादि सहित सभी तरह का पत्राचार शामिल होगा।

4. इस संबंध में सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उसके सेवा संबंधी मामलों में बाहरी प्रभाव डालने पर रोक है। जैसा कि गृह मंत्रालय के दिनांक 19.09.1963 के का.जा. सं. एफ. 25/21/63-स्था.(क) द्वारा स्पष्ट है, सरकारी सेवक के संबंधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को भी बाहरी प्रभाव माना जाता है।

5. यह बात दोहराई जाती है कि इन अनुदेशों को अर्द्ध सैन्य बलों एवं सशस्त्र बलों के सदस्य सहित सभी सरकारी सेवकों के ध्यान में लाया जाए और इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जाए।



(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (स्थापना)

टेलिफ़ोन: 23093176

सेवा में:

सभी मंत्रालय/विभाग के सचिव

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबंद्ध कार्यालय।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
14. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सरकता अधिकारी।
15. एडीजी (एम&सी), पत्र सूचना कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
16. प्रनाईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इस मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए कार्यालय जापन एवं आदेश-स्थापना- (आचरण नियमावली)।



(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (स्थापना)

टेलिफँक्स: 23093176